IJAER/Nov-Dec 2017/Volume-6/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

नगरीय विकास व बढ़ते बाल अपराध

Dr. Suman Gupta

Lecturer in Sociology , Govt College Kaladera ,Jaipur

सार

जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे 'बाल अपराध' कहते हैं। भारत में बाल न्याय अधिनियम, 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य बाल अपराध है। केवल आयु ही बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन् इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्त्वपूर्ण पक्ष है। 7 से 16 वर्ष का लड़का तथा 7 से 18 वर्ष की लड़की द्वारा कोई भी ऐसा अपराध न किया गया हो जिसके लिए राज्य मृत्यु-दण्ड अथवा आजीवन कारावास देता है जैसे हत्या, देशद्रोह, घातक आक्रमण आदि तो वह बाल अपराधी माना जायेगा। मानव समाज में बाल अपराध एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी हैं। बच्चे भविष्य की धरोहर हैं, लेकिन सामाजिक कमजोरियों और सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते हमारी यह धरोहर लगातार पतन के रास्ते आगे बढ़ती जा रही है बाल अपराधों की बढ़ती संख्या हमारे समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिससे तत्काल निजात पाने की जरूरत है ।

मुख्य शब्दः *बाल अपराध, नाबालिगों पर दुष्कर्म ,गरीबी*

प्रस्तावना :

बच्चे ही किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आने वाले समय में देश की बागडोर उनके ही हाथों में होती है। लेकिन बाल अपराध के उक्त आंकड़े भारत की नई पीढ़ी में बढ़ती निराशा और हिंसक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इसका कारण है सामाजिक नैतिकता का अवमूल्यन, परिवार नामक संस्था का कमजोर पड़ना, बढ़ती व्यवसायिकता और कमजोर कानून । एक ओर जहाँ हमारा देश सामाजिक विकास के मानकों पर लगातार आगे बढ़ रहा है, वहीं समाज की नैतिकता के स्तर में लगातार ह्रास हो रहा है। हम दो हमारे दो के इस दौर में माता-पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता, उनका सारा ध्यान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में लगे रहता है। पैसे की इस आपा-धापी के चलते उपजा अकेलापन बच्चों को निराशा की ओर ले जाता है। हालांकि समय की इस कमी की भरपाई के लिए माता-पिता बच्चों की हर छोटी-बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बचपन का अबोध मन अक्सर अपने रास्ते से भटक जाता है, सही-गलत के ज्ञान के अभाव में बच्चे ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं जो उन्हें अपराध की दुनिया में ले जाता है।

बाल अपराधों की बढ़ती संख्या भविष्य के लिए खतरे का संकेत है। भारतीय कानून के अनुसार, सोलह वर्ष की आयु तक के बच्चे अगर कोई ऐसा कृत्य करें जो समाज या कानून की नजर में अपराध है तो ऐसे अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। किशोर न्याय (बच्चोंकी देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार अगर कोई बच्चा कानून के खिलाफ चला जाता है तो आम आरोपियों की तरह न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने अथवा अपराधियों की तरह जेल या फांसी नहीं बल्कि

बाल गृहों में सुधार के लिए भेजा जायेगा । हमारा कानून भी यह स्वीकार करता है कि किशोरों द्वारा किए गए अनुचित व्यवहार के लिये किशोर बालक स्वयं नहीं बल्कि उसकी परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं, इसी वजह से भारत समेत अनेक देशों में किशोर अपराधियों को दंड नहीं, बल्कि उनकी केस हिस्ट्री को जानने और उनके वातावरण का अध्ययन करने के बाद उन्हें सुधार गृह में रखा जाता है, जहाँ उनकी दुषित हो चुकी मानसिकता को सुधारने का प्रयत्न किए जाने के साथ उनके साथ उनके भीतर उपज रही नकारात्मक भावनाओं को भी समाप्त करने की कोशिश की जाती है ।

वर्तमान में बाल अपराध एक गंभीर समस्या बन गई है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के लिए भी चिन्ता का कारण है। बाल अपराध बालक का लड़कपन या नटखटपन है जिसके वशीभूत वह कानून का उल्लंघन करता है अथवा जन-कल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। बाल अपराध को अपराध का मुख्य द्वार कहा गया है।1 हमारे देश में बाल अपराध में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की वर्ष 2017 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में बाल अपराध के 1 लाख 6 हजार 958 मामले दर्ज हुए जबकि वर्ष 2015 में बच्चों के खिलाफ अपराध की संख्या 94172 थी। वहीं 2015 के मुकाबले 13.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। जबकि ऐसे अपराधों में 2015 में 2014 के मुकाबले 5.3 प्रतिशत वृद्धि हुई थी 12 बाल अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। तीनों राज्यों में इसके 15.3 प्रतिशत, 13.6 प्रतिशत और 13.1 प्रतिशत मामले दर्ज हुए। हत्या, अपहरण, अपराध में नाबालिग बच्चों की संलिप्तता और आर्थिक अपराध में दिल्ली शीर्ष पर है।

3.प्रायः ऐसा देखा गया है कि न केवल शहर के विद्यार्थी, अपितु ग्रामीण विद्यार्थियों में भी उच्छृंखलता और अनुशासनहीनता आज सामान्य हो गयी है। भावी पीढ़ी के इन कर्णधारों के चरित्र को देखें तो बाल्यावस्था से अश्लीलताओं, वासनाओं, दुर्व्यसनों की दुर्गन्ध सी उड़ती दिखायी देती है । छोटे-छोटे बच्चों को बीड़ी पीते, गुटखा खाते देखकर ऐसा लगता है कि सारा राष्ट्र बीड़ी पी रहा है, नशा कर रहा है। युवतियों के पीछे अश्लील शब्द उछालता है तो ऐसा लगता है कि सम्पूर्ण राष्ट्र उद्दीप्त हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि आज चौथी, पांचवी तथा सातवीं कक्षा के छोटे-छोटे बालक-बालिकाएं जिन्हें अपनी आयु का अहसास तक नहीं है, वर्जनाओं और मर्यादाओं की सभी सीमाओं को पीछे छोड़ चुका है। 4 औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण तथा वैश्वीकरण ने जिन नये सामाजिक मूल्यों को जन्म दिया है। उसके प्रभाव से बच्चों में व्यवहार के ऐसे प्रतिमान विकसित हो रहे है जो समाज द्वारा मान्य नहीं है। बच्चों के बचपन की आदतें, जैसे जिदद करना, बड़ों का कहना न मानना, तोड़-फोड़ करना, झगड़ना, स्कूल से भागना, घर की वस्तुओं का चुराना, आदि आदतें आगे चलकर बच्चों को अपराधी बना देती है। बाल अपराध की समस्या मुख्य रूप से उस संगठित गिरोह से सम्बन्धित है जो निर्धन बच्चों को बहला-फुसलाकर उन्हें अपराधी बना देती है ।

5 सामाजीकरण की प्रक्रिया में बालक जिन सामाजिक मानकों को ग्रहण करता है। जिसका प्रभाव उसके विचारों, मनोभावों एवं क्रियाओं पर पड़ता है। प्रधान मूल्य लोगों के विश्वास एवं अभिवृत्तियों को प्रभावित करते है तथा उनके व्यवहार एवं जीवनशैली में प्रतिबिम्बित होते हैं।

6 यह मूल्य व्यक्ति के सम्पूर्ण सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करते हैं और उनके सभी प्रयत्नों पर दूरगामी प्रभाव छोड़ते हैं।7 बाल्यकाल में हम अपने परिवेश से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं आगे चलकर उसके सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं।

भारत में बाल अपराध

भारत में नाबालिकों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। बाल मन पर अपराध ने कब्जा जमा लिया है। दिल्ली में 35 फीसदी की दर से बाल अपराध में वृद्धि हुई है। नाबालिग दुष्कर्म, यौन शोषण, हत्या, छेड़छाड़, डकैती और चोरी में बालिग अपराधियों से पीछे नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आकड़ों के मुताबिक 2016 में दिल्ली, मुंबई सहित देश के 19 प्रमुख महानगरों में बाल अपराध के कुल 6.645 मामले सामने आए। इनमें केवल दिल्ली में 2,368 दर्ज हुए। दिल्ली में 51 नाबालिगों पर हत्या और 81 पर हत्या के प्रयास के आरोप लगे हैं। जबकि 143 नाबालिगों पर दुष्कर्म और 35 नाबालिगों के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले दर्ज हुए। सामूहिक दुष्कर्म के दो मामले में बाल अपराधियों की संलिप्तता सामने आई। इसके अलावा छेड़छाड़ के 138 और यौन शोषण के 66 मामले भी नाबालिगों पर दर्ज किए गए है। डकैती की 370 और चोरी की 766 वारदात को नाबालिगों ने अंजाम दिया। मनोवैज्ञानिक इसे एक खतरे के रूप में देख रहे है। उनका मानना है भौतिकवादी चमक-दमक और मीडिया का दुष्प्रभाव बचपन पर हावी हो रहा है। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में किताब और खिलौने होने चाहिए उस अवस्था में किशोर हथियार उठाने के साथ ही दूसरे की अस्मत से खेल रहे हैं। भारत में बालको के खिलाफ 2003 में जहाँ 33,320 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में बढ़ कर 42,566 हो गए। इनमें सोलह से अठारह साल आयु के 31,364, बारह से सोलह साल की आयु के 10.534 और बारह साल से कम आयु के 668 बच्चे गिरफ्तार हुए थे। बारह साल वाले बच्चों में से एक दर्जन को हत्या जैसे जघन्य अपराध के मामलों में गिरफ्तार किया गया था।

गंभीर और शर्मनाक तथ्य यह है कि पिछले दस सालों में किशोरों द्वारा बलात्कार के मामलों में तीन सौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2003 में किशोरों द्वारा बलात्कार के 535 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2014 में बढ़ कर 2,144 हो गए। किशोरों द्वारा अपराध के मामलों में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली सरकार जघन्य अपराधों में सजा की न्यूनतम उम्र सीमा पंद्रह साल करने की मांग कर रही है, जबकि लोकसभा में किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2014 पारित किया गया है, जिसमें सजा देने की उम्र सीमा अठारह से घटा कर सोलह साल कर दी गई है। भले यह विधेयक अभी कानून नहीं बन सका है, लेकिन नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में जिस तेजी से वृद्धि हो रही हैं। उससे इस विधेयक को कानून बनाने की मांग तेज हो रही है। एनसीआरबी के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए बलात्कारों की संख्या 2012 के मुकाबले 2014 में लगभग दोगुना हो गई। 2014 में दर्ज बलात्कार के 2,144 मामलों में से 1488 में बलात्कारियों की उम्र सोलह से अठारह साल के बीच थी, जबकि 2012 में 1316 किशोरों को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि भारत में अठारह साल से कम उम्र का अपराधी नाबालिग माना जाता है और उनके खिलाफ आरोप की सुनवाई केवल 'जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड' में होती है। सजा के नाम पर उन्हें अधिकतम तीन साल बाल सुधार गृह में गुजारने की सजा सुनाई जाती है, जबकि बदलते परिवेश में किशोरों द्वारा लगातार गंभीर अपराध किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सिर्फ भारत में किशोरों को जघन्य अपराध करने के बावजूद गंभीर सजा नहीं मिल पाती है।

उद्देश्य

- बाल अपराध को निर्धारित नहीं करती वरन् इसमें अपराध की गंभीरता भी महत्त्वपूर्ण पक्ष है।
- बाल अपराध के उक्त आंकड़े भारत की नई पीढ़ी में बढ़ती निराशा और हिंसक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं

बाल अपराध के प्रकार

बाल अपराध व्यवहार की शैली और समय में विविधता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक प्रकार का अपना सामाजिक सन्दर्भ होता है कारण होते है तथा विरोध और उपचार के अलग स्वरूप होते है जो कि उपयुक्त समझे जाते हैं। बाल अपराध के निम्न प्रकार है-

वैयक्तिक बाल अपराध

यह वह बाल अपराध है जिसमें एक व्यक्ति ही अपराधिक कार्य करने में संलग्न होता है। और इसका कारण भी अपराधी व्यक्ति में ही खोजा जाता है। इस अपराधी व्यवहार की अधिकतर व्याख्याएँ मनोचिकित्सक समझाते हैं। उनका तर्क है कि बाल अपराध दोपपूर्ण पारिवारिक अन्तक्रिया प्रतिमानों से उपजी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के कारण किये जाते हैं। हीले और ब्रोनर (1936) ने अपराधी युवकों की तुलना उन्हीं के अपराधी सहोदारों से और उनके बीच अन्तरों का विश्लेषण किया। उनकी सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि 13.0 प्रतिशत अनपराधी सहोदारों की तुलना में 90.0 प्रतिशत अपराधी किशारों का घरेलू जीवन दुःख भरा था और वे अपने जीवन की परिस्थितियों से असन्तुष्ट थे, उनकी अप्रसन्नता की प्रकृति भिन्न थी। कुछ तो माँ-बाप द्वारा उपेक्षित मानते थे तथा अन्य या तो हीनता का अनुभव करते थे या अपने सहोदरों से ईर्ष्या करते थे या फिर मानसिक तनाव से पीड़ित थे, इन समस्याओं के समाधान के लिए वे अपराध में लिप्त हो गये थे, क्योंकि इससे (अपराध) या तो उनके माता-पिता का ध्यान उनकी और आकर्षित होता था या उनके साथियों का समर्थन उन्हें मिलता था या उनकी अपराध भावना को कम करता था। बन्दूरा और वाल्टर्म ने श्वेत बाल अपराधियों के कृत्यों की तुलना अनपराधी लड़को से ही जिनमें आर्थिक कठिनाईयों के स्पष्ट संकेत नहीं थे, उन्हें पता चला की अपराधी अनपराधियों से उनकी माताओं के साथ सम्बन्धों की दृष्टि से थोड़ा सा भिन्न ही है, लेकिन उनके पिताओं के साथ अपने सम्बन्धों में कुछ अधिक भिन्न थे, इस प्रकार अपराध में पिता पुत्र सम्बन्ध, माता पुत्र सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण दिखाई दिए क्योंकि अपने पिता में आदर्श भूमिका की अनुपस्थिति के कारण अपराधी लड़के नैतिक मूल्यों का अंतरीकरण नहीं कर सके, इसके साथ ही उनका अनुशासन अधिक कठोर था ।

समूह समर्थित बाल अपराध

इस प्रकार के अपराध में बाल अपराध अन्य बालकों के साथ में घटित होता है और इसका कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व या परिवार में नही मिलता, बल्कि उस व्यक्ति के परिवार व पड़ोस की संस्कृति में होता है। थ्रेशर शॉ और मैके के अध्ययन भी इसी प्रकार के बाल अपराध की बात करते हैं, मुख्य रूप से यह पाया गया कि युवक अपराधी इसलिए बना क्योंकि वह पहले से ही अपराधी व्यक्तियों की संगति में रहता था, बाद में सदरलैंड ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किये। जिसने विभिन्न संपर्क के सिद्धान्त का विकास किया ।

संगठित बाल अपराध

इसमें वे अपराध सम्मिलित हैं जो औपचारिक रूप से संगठित गिरोहों द्वारा किये जाते हैं, इस प्रकार के अपराधों का विश्लेपण सन् 1950 के दशक में अमरीका में किया गया था तथा अपराधी उपसंस्कृति की अवधारणा का विकास किया गया था । यह अवधारणा उन मूल्यों और मानदण्डों की ओर संकेत करती है जो समूह के सदस्यों के व्यवहार को निर्देशित करते हैं, अपराध करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, इस प्रकार के कृत्यों पर उन्हें प्रस्थिति प्रदान करते हैं और उन व्यक्तियों के साथ उनके संबधो को स्पष्ट करते है जो समूह मानदण्डों से बाहर के समूह होते हैं।

स्थितिजन्य अपराध

स्थितिजन्य अपराध की मान्यता यह है कि अपराध गहरी जड़े नहीं रखता और अपराध के प्रकार और इसके नियंत्रित करने के साधन अपेक्षाकृत बहुत सरल होते हैं, एक युवक की अपराध के प्रति गहरी निष्ठा के बिना अपराधी कृत्य में संलग्न हो जाता है, यह या तो कम विकसित, अन्तः नियंत्रण के कारण होता है या परिवार नियंत्रण में कमजोरी के कारण या इस विचार के कारण कि यदि वह पकड़ा भी जाता है तो भी उसकी अधिक हानि नहीं होगी। डेविड माटजा ने इसी प्रकार के अपराध का सदर्भ दिया है।

बाल अपराध के आर्थिक कारण-

गरीबी

गरीब बच्चों के पास जीवन की पर्याप्त सुविधायें व आराम नहीं होते। उन्हें चोरी और लूटपाट सबसे सरल माध्यम लगता है अतः छोटे बच्चे चोरी और डकैती करने लगते हैं। कभी-कभी गरीबी के कारण स्वयं माता-पिता ही अपने बच्चों को चोरी करने के लिए उकसाते हैं।

बेकारी

निर्धनता के साधन बेकारी भी बाल अपराध का ऐसा आर्थिक कारण है जो स्वयं तो बाल अपराध को जन्म देती है साथ ही कई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं जिनके वशीभूत होकर बालकों में अपराध मनोवृत्तियाँ जन्म लेती हैं।

छोटे बालकों का नौकरी करना

उदरपूर्ति के लिए छोटे बालकों को फैक्ट्रियों, होटलों, चलचित्र इत्यादि में नौकरी करना पड़ता है फलस्वरूप ये शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, साथ ही साथ बीड़ी पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी इत्यादि बुरी आदतें पड़ जाती हैं।

रिमाण्ड होम

जब बाल अपराधी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है तो उसे सुधारात्मक गृहों में रख जाता है। जब तक उस पर अदालती कार्यवाही चलती है, अपराधी इन्हीं सुधारालयों में रहता है। यहाँ पर परिवीक्षा अधिकारी बच्चे की शारीरिक व मानसिक स्थितियों का अध्ययन करता हैं, उन्हें मनोरंजन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण आदि दिया जाता है। ऐसे गृहों में बच्वें से सही सूचनाएँ प्राप्त की जाती हैं जो वे न्यायाधीश के सम्मुख देने से घबराते हैं। भारत में दिल्ली एवं अन्य 11 राज्यों में रिमाण्ड होम हैं। अब इनका स्थान सम्प्रेक्षण गृहों ने ले लिया है।

प्रमाणित या सुधारात्मक विद्यालय

प्रमाणित विद्यालय में बाल अपराधियों को सुधार हेतु रखा जाता है। इन विद्यालयों को सरकार से अनुदान प्राप्त ऐच्छिक संस्थाएं चलाती है। इन स्कूलों में बाल अपराधियों को कम से कम तीन वर्ष और अधिकतम सात वर्ष की अवधि के लिये रखा जाता है। इन स्कूलों में सिलाई, खिलौने बनाने, चमड़े की वस्तुएँ बनाने और प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम दो वर्ष

के लिए होता है। बच्चों को स्कूल से ही कच्चा माल प्राप्त होता है और उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बाजार में बेच दिया जाता है और लाभ उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। जमा की गई धनराशि एक निश्चित मात्रा तक पहुँचने के बाद स्कूल के बच्चे को केवल राज्य के उपयोग के लिए ही वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। बच्चों के 5वें दर्जे तक की बुनियादी शिक्षा भी दी जाती है वर्ष के अन्त में उसको विद्यालय निरीक्षक द्वारा संचालित परीक्षा में भी भाग लेना होता हैं।

निष्कर्ष

बाल अपराधियों को सुधारने में आज भारत भी प्रगतिशील देशो से पीछे नहीं है। पर भारतीय समाज मे कुछ अन्य समस्याएं जैसे अतिजनसंख्या, बेरोजगारी, भुखमरी आदि इतनी अधिक गम्भीर हैं कि उससे ही निपटना सरकार के लिए अत्यन्त कठिन हो रहा है। यद्यपि ये सच है कि 16 से 18 साल की आयु समूह वाले बच्चों की संख्या जघन्य अपराधों में बढ़ रही है इसलिए संसद में संशोधन की बहस के समय इस पर चर्चा अवश्य होनी चाहिये कि हम समाज के रूप में एक न्याय पर आधारित व्यवस्था चाहते हैं या प्रतिकार और सजा या एक ऐसी व्यवस्था जो किशोर अपराधियों के सुधार और समावेश के योग्य हो । राज्य के साथ ही समाज अपने बच्चों के लिये कुछ जिम्मेदारियाँ रखता है कि वो राह से न भटके और समाज का मुख्य पक्ष बने रहें। इस तरह किशोर न्याय में संशोधन करते समय देखभाल और सुरक्षा मुख्य उद्देश्य होना चाहिये ।

सन्दर्भ

- किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000
- मुकर्जी नाथ रवीन्द्र अग्रवाल भगत, सामाजिक समस्याएँ, विवेक प्रकाशन, दिल्ली 2003
- महाजन संजीव, सामाजिक समस्याएँ, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली 2010
- वर्मा सिंह चंचल, बालकों की भावनाओं व व्यक्तित्व का अध्ययन, कल्पज पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2011
- आहूजा राम सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन्स, दिल्ली 2012
- भटनागर बी०ए०, अधिगमकर्त्ता का विकास एवं शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, राधिका कम्प्यूटर्स, मेरठ, 2013
- मिश्र कुमार ब्रज, मानस रोग असमान्य मनोविज्ञान, PHL Learning प्रा. लि., दिल्ली, 2015
- चक्रवर्ती तरुण, अपने बच्चे को श्रेष्ठ कैसे बनाएं, डायमण्ड पोकेट बुक्स प्रा. लि., 2016
- राम आहुजा, सामाजिक समस्याएँ (1997), रावत पब्लिकेशन्स जयपुर एवं नई दिल्ली, पृ. 190
- एल. बी. वाजपेयी, अमिता वाजपेयी, विशिष्ट बालक (2008), भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, पृ. - 207
- प्रकाश नारायण नाटानी, प्रज्ञा शर्मा, भारत में सामाजिक समस्याएँ (2000), पोइन्टर पब्लिशर्स जयपुर, पृ. - 72, 73 4. वही, पृ. 75

- एल. बी. वाजपेयी, अमिता वाजपेयी, विशिष्ट बालक (2008), भारत बुक सेंटर, लखनऊ, पृ. 223
- . प्रकाश नारायण नाटांनी, प्रज्ञा शर्मा, भारत में सामाजिक समस्याऐं (200), पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, पृ. 223
- गणेश पाण्डेय, अपराध शास्त्र (2004), राधा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृ. 129 130
- नरेन्द्र कुमार शर्मा, अपराधशास्त्र (2011), ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ल, पृ. 116